अल्पकालीन निविदा

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित द्वारा धान उपार्जन के लिये भारत सरकार को प्रस्तुत किये जाने वाले अंतिम दर निर्धारण प्रस्ताव तैयार करने तथा राज्य शासन को हानि प्रतिपूर्ति दावा पत्रक प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार करने के लिये सनदी लेखाकार/लागत लेखाकार फर्मों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। प्रस्ताव की शर्तें निम्नानुसार होगी –

Terms of Reference

भाग– 01 भूमिका –

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित सहकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत् गठित शीर्ष सहकारी विपणन संस्था है। यह संस्था छत्तीसगढ़ शासन की विकेन्द्रीकृत धान उपार्जन योजना के अंतर्गत धान उपार्जन के कार्य हेतु अधिकृत एजेंसी है। इस संस्था द्वारा प्रतिवर्ष राज्य शासन के निर्देशों के अनुरूप धान उपार्जन का कार्य किया जाता है। यह कार्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये दिशा निर्देश तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित किये गये निर्देशों के अनुरूप किया जाता है। इस कार्य को करने के लिये विपणन संघ के राज्य स्तर पर मुख्यालय तथा 27 जिलों में जिला स्तरीय कार्यालय है। धान उपार्जन नीति के तहत प्रत्येक खरीफ वर्ष में भारत सरकार द्वारा धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा विभिन्न प्रासंगिक व्ययों हेतु प्रावधिक दर निर्धारित किया जाता है। इस समर्थन मूल्य के आधार पर विपणन संघ द्वारा राज्य के कृषकों से प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से धान उपार्जन का कार्य किया जाता है। उपार्जित धान को राज्य में स्थापित चावल मिलों के माध्यम से मिलिंग करवाये जाने के उपरांत चावल का परिदान भारतीय खाद्य निगम तथा नागरिक आपूर्ति निगम को किया जाता है। परिदान किये गये चावल के एवज में संबंधित संस्थाओं द्वारा चावल का मूल्य संघ को अंतरित किया जाता है। विपणन संघ द्वारा धान उपार्जन एवं निराकरण कार्य के लिए किये गये वास्तविक व्यय के आधार पर विभिन्न मदों में अंतिम दर निर्धारण प्रस्ताव भारत सरकार को तथा अंतिम लागत निर्धारण प्रस्ताव के आधार पर राज्य शासन को प्रावधिक हानि प्रतिपूर्ति दावा तैयार कर प्रस्तुत किया जाता है ।

भाग – 2 निर्धारित अर्हताएँ –

2.1 तकनीकी योग्यताएं –

2.1.1 फर्म का प्रेषण पत्र। (फार्म T–1)

2.1.2 फर्म का विस्तृत विवरण। (फार्म T–2)

2.1.3 सनदी लेखाकार/लागत लेखाकार फर्म में न्यूनतम 15 प्रोफेशनल स्टाफ हो। (फार्म T–3)

2.1.4 कार्य योजना का विवरण जिसमे फर्म द्वारा किये गये जाने वाले कार्य का पाक्षिक लक्ष्य तथा इस हेतु निर्धारित टीम शामिल हो। (फार्म T–4 एवं T–5)

2.1.5 सनदी लेखाकार/लागत लेखाकार फर्म को शासकीय/अर्धशासकीय संस्थाओं में लागत निर्धारण संबंधी प्रस्ताव तैयार करने का कम से कम 02 वर्ष का अनुभव हो।

2.1.6 सनदी लेखाकार/लागत लेखाकार अधिनियम 1949 के तहत पंजीकृत फर्म, जिसमें एक से अधिक पार्टनर हो। (प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

2.1.7 सनदी लेखाकार/लागत लेखाकार फर्म के द्वारा पंजीयन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि पूर्ण कर ली गयी हो।

2.1.8 सनदी लेखाकार फर्म होने की स्थिति में फर्म में न्यूनतम एक पार्टनर लागत लेखाकार अनिवार्य है।

2.1.9 जिला रायपुर में संबंधित फर्म का कार्यालय होना आवश्यक है ।

2.1.10 निविदाकार को सुरक्षा निधि के रूप में राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित बैंक का 25,000/– का डिमांड ड्राफ्ट जो ''छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर'' के पक्ष में देय हो, संलग्न करना अनिवार्य है ।

2.2 वित्तीय प्रस्ताव –

2.2.1 वित्तीय प्रस्ताव बंद लिफाफे में प्रस्तुत किये जायेंगे।

2.2.2 वित्तीय दरें संलग्न फार्म ''एफ–1'' के अनुसार जिला स्तर तथा राज्य स्तर के लिये कुल कार्य दिवस के आधार पर प्रस्तावित की जायेगी। दोनों स्तर पर दिये जाने वाले वित्तीय प्रस्ताव के योग को न्यूनतम मानकर निविदा का चयन किया जावेगा।

2.2.3 वित्तीय दरें अधिकतम 01 वर्ष के लिये वैध होगी।

भाग – 3 –

3.1 कार्य का स्वरूप –

3.1.1 छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त 27 जिलों के लिये छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2013–14 तथा वर्ष 2014–15 के लिये उपार्जित धान से निर्मित चावल के एक्विजिशन कास्ट के लेखे भारत सरकार को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया जाना तथा राज्य शासन को प्रेषित करने हेतु हानि प्रतिपूर्ति दावा तैयार किया जाना।

3.1.2 सभी 27 जिलों से भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में डाटा का संकलन तथा मुख्यालय में उपलब्ध डाटा के आधार पर तथा भारत सरकार द्वारा इस संबंध में दिये गये दिशा निर्देश के अनुरूप दर निर्धारण प्रस्ताव तैयार करना तथा उसका प्रमाणीकरण करना।

3.1.3 सभी 27 जिलों से डाटा का संकलन कर दिशा निर्देश अनुरूप राज्य शासन को हानि दावा प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्ताव तैयार करना तथा उसका प्रमाणीकरण करना।

3.1.4 उपरोक्त कंडिका 3.1.1 और 3.1.2 में दर्शित कार्य हेतु सभी जिलों से आवश्यक डाटा प्राप्त करने हेतु जिले के संबंधित अधिकारी से आवश्यक समन्वय स्थापित कर कार्य में सहयोग करना।

3.1.5 भारत सरकार स्तर पर आयोजित बैठक में विपणन संघ द्वारा प्रेषित दर निर्धारण प्रस्ताव पर यथावश्यक चर्चा हेतु बैठक में उपस्थित होना तथा विपणन संघ से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध कराना।

3.1.6 यदि भारत सरकार द्वारा उक्त वर्षों के लेखे के संबंध में कोई संशोधन/सुझाव की कार्यवाही की जाती है, तो पत्रकों में आवश्यक सुधार कर संशोधित प्रकिया निश्चित समयावधि में प्रस्तुत किया जाना।

3.1.7 भारत सरकार तथा राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव का प्रारूप प्रपत्र तथा जिला स्तर से प्राप्त किये जाने वाले ऑकड़ो का प्रारूप प्रपत्र संलग्न है ।

3.2 कार्य की अवधि –

3.2.1 भारत सरकार को भेजा जाने वाला प्रस्ताव तथा राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाने वाला हानि प्रतिपूर्ति दावा के अंतिमीकरण का कार्य अधिकतम 45 दिवस में पूर्ण किया जाना होगा। निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण न किये जाने की स्थिति में अनुबंध की अवधि में अधिकतम 15 दिवस की वृद्धि कार्य राशि का 2 प्रतिशत प्रतिमाह के आधार पर पेनाल्टी के साथ की जा सकेगी।

3.2.2 निश्चित समयावधि में सम्पूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में अनुबंध की अवधि स्वमेव समाप्त हो जावेगी तथा अपूर्ण कार्य हेतु किसी प्रकार की राशि देय नहीं होगी। साथ ही सुरक्षा निधि की राशि जप्त हो जावेगी।

भाग – 4 निविदा भरने हेतु दिशा निर्देश –

4.1. निविदाकार द्वारा प्रस्ताव 02 पृथक लिफाफों में निम्नानुसार प्रेषित किया जावेगा –

4.1.1 तकनीकी प्रस्ताव में उपरोक्त भाग – 2 (अ) के अनुसार समस्त प्रारूप तथा प्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिफाफें में तकनीकी प्रस्ताव अंकित किया जाना आवश्यक है ।

4.1.2 वित्तीय प्रस्ताव भाग – 2 (ब) के अनुसार निर्धारित प्रारूप तैयार कर बंद लिफाफा, जिसमें वित्तीय प्रस्ताव अंकित किया गया हो, में प्रेषित किया जाना आवश्यक है ।

4.1.3 तकनीकी लिफाफा तथा वित्तीय लिफाफा को एक बंद लिफाफें में प्रेषित किया जाना होगा ।

4.1.4 सील बंद लिफाफा नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रस्ताव मान्य योग्य नहीं होगा ।

भाग – 5 – अन्य

5.1 भुगतान की प्रकिया –

5.1.1 भारत सरकार को राज्य शासन की ओर से प्रस्ताव भेजे जाने के उपरांत तथा राज्य सरकार को भेजे जाने वाले प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण की कार्यवाही पूर्ण करने के उपरांत 80% राशि का भुगतान तथा शेष 20% राशि का भुगतान भारत सरकार द्वारा अंतिम सी.एम.आर. दर निर्धारण उपरांत किया जावेगा।

5.1.2 यदि राज्य से बाहर किसी कार्य हेतु भेजा जाता है, तो विपणन संघ के यात्रा श्रेणी "बी" के अनुसार यात्रा व्यय की पात्रता होगी।

5.1.3 उपरोक्त दर्शित सभी कार्य हेतु विपणन संघ द्वारा जानकारी मुख्यालय स्तर से प्रदाय की जावेगी। अतः यह सभी कार्य विपणन संघ के मुख्यालय स्तर से ही संपन्न किये जाने होंगे। जिला स्तर पर जानकारी तैयार करने हेतु जिला स्तर पर संकलित डेटा

प्राप्त करने हेतु जिलो में आने जाने का व्यय संबंधित फर्म द्वारा स्वयं वहन किया जावेगा।

5.2 अनुबंध का निष्पादन –

5.2.1 सफल निविदाकार को निविदा स्वीकृति के उपरांत 07 दिवस के अंदर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के साथ लिखित अनुबंध निष्पादित करना होगा ।

5.2.2 निर्धारित समयावधि में अनुबंध निष्पादित न किये जाने की स्थिति में यह मानते हुए कि निविदाकार इस कार्य के इच्छुक नहीं है, निविदाकार की निविदा को निरस्त मानते हुए द्वितीय न्यूनतम निविदाकार के साथ अनुबंध निष्पादित किया जा सकेगा तथा न्यूनतम निविदाकार की सुरक्षा निधि जप्त कर ली जावेगी।

5.2.3 अनुबंध निष्पादन दिनांक से कार्य की अवधि प्रारंभ मानी जावेगी ।

5.3 सामान्य शर्तें –

5.3.1 सफल निविदाकार को प्रस्तुत किये गये कार्य योजना के आधार पर पाक्षिक प्रगति प्रतिवेदन विपणन संघ मुख्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

5.3.2 सुरक्षा निधि की राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। सफल निविदाकार का चयन तथा अनुबंध होने के उपरांत शेष निविदाकारों की सुरक्षा निधि वापस की जा सकेगी।

5.3.3 निविदा में किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति होने पर प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ का निर्णय मान्य योग्य होगा।

5.4 निविदा चयन की प्रक्रिया –

5.4.1 आमंत्रित की गई निविदाओं में प्राप्त प्रस्तावों के लिए सर्वप्रथम तकनीकी लिफाफा का परीक्षण किया जावेगा। जो निविदाकार तकनीकी अर्हताओं को पूर्ण करते है, उन्हीं निविदाकारों के लिए वित्तीय लिफाफा खोला जायेगा।

5.4.2 निविदा चयन निर्धारित तकनीकी योग्यता वाले निविदाकारो के द्वारा दी गई वित्तीय दरों की तुलनात्मक परीक्षण के उपरांत न्यूनतम वित्तीय दर के आधार पर चयन किया जावेगा।

5.4.3 निविदाकारों से यदि आवश्यक हुआ तो प्री-बिड सम्मेलन के माध्यम से वार्तालाप की जा सकती है।

5.5 सत्यनिष्ठा संधि –

5.5.1 छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के निर्देश क्रमांक 243/वि./नि./4/2013 दिनांक 06 जुलाई, 2013 के आधार पर सफल निविदाकार को छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के साथ सत्यनिष्ठा संधि पर हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक होगा।

Form T-1

Letter of Transmittal

To,
The Managing Director,
Chhattisgarh State Cooperative Federation Limited
Raipur

Dear Sir,

We, the undersigned, offer to provide the services in accordance with your Expression of Interest dated [*Insert Date*]. We are hereby submitting our Proposal, which includes this Technical Proposal, and a Financial Proposal sealed under a separate envelope.

We are submitting our Proposal in association with: [*Insert a list with full name and address of each associated firm*]

We hereby declare that all the information and statements made in this Proposal are true and accept that any misinterpretation contained in it may lead to our disqualification.

The prices quoted by us in the Financial Proposal (Form F-1) are valid till ~~six~~ 12 months from the date of submission of the quotation. We confirm that this proposal will remain binding upon us and may be accepted by you at any time before the expiry date.

Prices have been arrived independently without consultation, communication, agreement or understanding (for the purpose of restricting competition) with any competitor.

We agree to bear all costs incurred by us in connection with the preparation and submission of the proposal and to bear any further pre-contract costs.

We understand that the federation is not bound to accept the lowest or any proposal or to give any reason for award, or for the rejection of any proposal.

I confirm that I have authority of [*Insert Name of the C.A. Firm*] to submit the proposal and to negotiate on its behalf.

Yours
faithfully,

( )

Form T-2

Particulars/Details of the Firm

Sl. No.	PARTICULARS	Supporting Documents required to be submitted along with this Form
1	Name of the Firm	
2	Addresses of the Firm:	
	Head Office	Phone No: Fax No: Mobile No. of Head Office In-charge:
	Date of establishment of the firm	
	Date since when is H.O. at the existing Station	
	Branch Office 1,2,3…… (Particulars of each branch to be given)	Phone No: Fax No: Mobile of each Branch Office In-charge:
	Mention the date of each branch offices since when existed at the existing place	
3	Firm Income Tax PAN No.	Attach copy of PAN card
4	Firm Service Tax Registration No.	Attach copy of Registration
5	Firm's Registration No. with ICAI	
6	Empanelment No. with RCS	Attach proof of latest empanelment with RCS for the year under Audit.
7	No. of Years of Firm Existence & Date of establishment of Firm	Attach copy of Partnership Deed
8	Turnover of the Firm in last three years	Attach balance sheet and P&L Account of the last three years or a C.A. Certificate give Break-up of Audit Fee and Other Fees Received.
9	Annual Average Turnover with Break-up of Fee towards Audit, Income Tax matters and others (Specify)	Provide a Chart
10	Experience of the Firm:	Copy of the Offer Letter & the Fee Charged.
11	**Details of Partners:** Provide following details: · Number of Full Time Fellow Partners associated with the firm. · Name of each partner, · Date of becoming ACA and FCA · Date of joining the firm, · Membership No., · Qualification	Attested copy of Certificate of ICAI as on 31.12.2015.

	· Experience · Whether the partners is engaged full time or part time with the firm. · Their Contact Mobile No., email and full Address	
12	If applying in Joint venture, then provide similar details for the firms participating in Joint venture.	Letter jointly signed by all the firms participating in Joint venture whereby they have agreed for the Lead Auditor.
13	Indicate the Lead Auditor in the Joint Venture.	Letter jointly signed by all the firms participating in Joint venture whereby they have agreed for the Lead Auditor.

Form T-3

A. Details of Qualified Staff (Chartered Accountants/Cost Accountants)

(Please provide a *self* attested copy of Certificate of ICAI as on 31.12.2015 for each qualified staff)

S. No.	Name of Staff	Length of Association with the Firm (in years)	Educational Qualifications	Area of Key Expertise	Membership No.	Relevant Experience
1						
2						

B. Details of Semi-qualified Staff (including Article Clerks etc)

S. No.	Name of Staff	Length of Association with the Firm (in years)	Educational Qualifications	Area of Key Expertise	Relevant Experience	Remarks
Semi Qualified Staffs:						
1						
2						
..						
Article Clerks:						
1						
2						
..						
Others						
1						
2						
..						

Form T-4

Details of Structure & Composition of Team and Task Assignments – DEPLOYED FOR Proposed Assignment

Each team will constitute of minimum 2 members with qualifications as below

Name	Position/ Team Number	No's (Minimum)	Educational Qualification	Key Responsibilities or Task Assigned	Relevant Experience and period of association with the firm	Name of the firm to which he belongs in case of Associate	Number of Man days estimated fo task completion
Chartered Accounta Nt/Cost Accountant	Team Leader	1					
Semi-Qualified (CA Inter)	Individual District Team Lead	1					

1. **The firm shall give an undertaking that the team members are proficient in the State's official language (both oral and written).**

2. **Firms must also clearly bring out the number of teams it plans to deploy for the audit keeping in view the scope of work, coverage and Guidelines for submitting the proposal. Structure of each team should be indicated as per format below:**

Structure of Team 1:

Name of CA	Names of Support Staff	Qualifications	Number of districts Proposed to be covered	Time Required for Each assignment

Form T-5

Description of Approach & Work Plan for performing the work

A. ***Technical Approach :***

The firm should explain the understanding the objectives of the assignments, approach to the services, methodology for the carrying out the activities and obtaining the expected output, and the degree of the detail of such output.

B. ***Work Plan alongwith the time required for each work/ assignment in the State/ District/ Blocks etc:***

The firm should propose the main activities of the assignment, their content and duration, phasing and inter-relations, milestones and delivery dates of the reports.

The proposed work plan should be consistent with the technical approach showing understanding of the TOR and ability to translate them in to a feasible working plan.

Form F-1

FORMAT FOR FINANCIAL BID

(Please provide the break-up of Firm's quoted fees for each work and unit)

Item or Activity	Total Amount (in Rupees)
FEE (Exclusive of TA/DA, Service Tax and cess on Service tax) Note: **Percentage of funds involved shall not be a basis of quoting the Fee.**	Both in Numeric and in Words. Rs._____/- (Rupees _____).

Breakup of the Fee quoted above must be provided as per following format:*

S. NO.	Particulars	Total Man days	Amount (Rs.)
1	Preparation of district level data formats Give a break-up for each district		
2	Preparation of final consolidated proposal for GoI and for the State Govt.		